


11. संस्थान को समुद्रस्थानकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कौसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
12. संस्थान को न्यूट्रीशन लैब, कम्युनिटी लैब एवं लाईब्रेरी को पूर्ण सुसज्जित किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
13. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइज कौसिल में पंजीकरण नहीं है, उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग कौसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
14. संस्थान में 01 असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं 01 नर्सिंग ट्यूटर की तैनाती एक माह के अन्तर्गत करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी।
15. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या-433/XXVIII(6)/2020-01 (नर्सिंग)/20 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 में वर्णित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
16. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
17. सम्बद्ध / पेरेन्ट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
18. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संस्थान को निर्गत अनुमति / सम्बद्धता विस्तरण स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
19. प्रत्येक वर्ष मान्यता/अनुमति/संबद्धता विस्तरण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइज कौसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2021–22 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।


भवदीय

 (राम कुमार शर्मा)
 रजिस्ट्रार

तददिनांकित।

पत्रांक : न.कौ./श्री देवभूमि/नर्सिंग/05/2020/

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ प्रेषित—

- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 107 चन्द्र नगर, देहरादून।
- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली – 110020।


 (राम कुमार शर्मा)
 रजिस्ट्रार

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
मझोन, पौंधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून।

पत्रांक : न.कौ./ श्री देवभूमि / नर्सिंग / 05 / 2020 / 677

पंचवरी, 2022

दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

विषय : श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी मझोन, पौंधा वाया-प्रेम नगर, देहरादून के नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल से अनुमति/मान्यता/सम्बद्धता विस्तरण प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संचालित निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल से वर्ष 2021-22 सत्र हेतु अनुमति/मान्यता/सम्बद्धता विस्तरण निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0स0	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित सीट संख्या
1	बी0एस0सी0 नर्सिंग	40 (Forty)

1. संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
2. संस्थान को उक्त निर्धारित सीटों में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
3. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. संस्थान को पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त की जानी होगी।
6. संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती हैं, तो अनुमति/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही आपके संस्थान पर लागू होंगे एवं मान्य होंगे।
8. उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अहंताएं अनिवार्य होगी।
9. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
10. भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कॉसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

